संख्या- 171 /2016- 1865 /नौ-5-16-15घोषणा/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 17 जून, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-2017 में नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद राठ, जनपद हमीरपुर की पेयजल योजना हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-85/नागर-2/033-304/16, दिनांक 28.10.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद राठ, जनपद हमीरपुर की पेयजल योजना हेतु निर्धारित लागत रू0 9434.78 लाख (रू0 चौरान्बे करोड. चौंतीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड. मात्र) की धनराशि संलग्न बीएम-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी /उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/ पुनरावृति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

(9) अस्थायी पम्पिंग हेतु क्रय किये जाने वाले उपकरणों/यंत्रों का रख रखाव/सुरक्षा का दायित्व नगर पालिका परिषद, जनपद महोबा एवं निर्माण खण्ड (वि0/याँ) उ0प्र0 जल निगम, महोबा का होगा।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई 01-जलपूर्ति-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1417(1)/दस-2016, दिनांक 17जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक' यथोक्त।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 171/2016-1865 (1)/नौ-5-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ/ हमीरपुर ।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद राठ, हमीरपुर ।
8- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
9- मुख्य अभियंता (झा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, झांसी ।
10- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (वि0/याँ) उ0प्र0 जल निगम, हमीरपुर ।
11- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
12- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go finance mangal font

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37- नगर विकास विभाग, वित्तीय वर्ष 2016-17

(धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2215- जल पूर्ति तथा सफाई 01-जलापूर्ति-193-नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04 30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	500000	100000	100000	100000	400000
योग	500000	100000	100000	100000	400000
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	500000	600000	100000	100000	600000
योग	500000	600000	100000	100000	600000

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचतें हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:

नागर निकायों के लिये पेयजल कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या-28- ई-8-1417 /दस-2016, दिनांक 17 जून, 2016

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या- 171 /2016-1865(1) /नौ-5-2016-15घोषणा/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, हमीरपुर ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
6- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद राठ, हमीरपुर
7- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम लखनऊ ।।
8- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
9- मुख्य अभियंता (झा0क्षे0), 30प्र0 जल निगम, झांसी ।
10- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, 30प्र0 जल निगम, हमीरपुर ।।
11- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
12- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-17/06/2016

प्रेषण संख्या:- 171

आवंटन आदेश संख्या:- 001-171-2016-1865-9-5-16-15Gho-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 599889000	100000000 599889000
	योग	वर्तमान प्रगामी	100000000 599889000	100000000 599889000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उनसठ करोड़ अठानवे लाख नवासी हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी